भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2601

16 मार्च, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

झारखंड में शहरी विकास योजनाएँ

2601 # श्री खीरू महतोः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में मंत्रालय की कौन कौन सी योजनाएं झारखण्ड राज्य में कार्यान्वयनाधीन हैं;

(ख) उक्त योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं को पूर्ण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): संविधान के अनुच्छेद 243ब के उपबंधों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम- यू 2.0), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएमस्वनिधि) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे में प्रोग्रामेटिक सहायता प्रदान करता है।

इन मिशनों/स्कीमों के माध्यम से केन्द्र सरकार राज्य योजनाओं को अनुमोदित करती है और राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/जिलों को निधियां जारी करती हैं।

<u>अमृत</u>: यह मिशन वर्ष 2015 में देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहरों) और कस्बों में शुरू किया गया था, जिसमें चयनित शहरों और कस्बों में इन्फ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति; सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन; वर्षा जल निकासी; हरित स्थान और

पार्क; और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एसएनए स्पर्श के माध्यम से निधियां जारी करने के साथ मिशन को 31 दिसंबर 2025 तक अनुमोदित किया गया था। अमृत के तहत, झारखंड राज्य ने 1,615.06 करोड़ रुपये की 59 परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें 1,334.18 करोड़ रुपये की 15 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 251.5 करोड़ रुपये की 09 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 29.38 करोड़ रुपये की 35 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं। कुल 1,314.03 करोड़ रुपये के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं।

अमृत 2.0 को वर्ष 2021 में सभी यूएलबी/शहरों में लॉन्च किया गया है, ताकि शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाया जा सकें। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक है। जलाशय पुनरूद्धार और हरित स्थान और पार्क मिशन के अन्य घटक हैं। अमृत 2.0 को मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है। मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने का अधिकार है। अमृत 2.0 के तहत, झारखंड में 4,202.53 करोड़ रुपये की 113 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 1,782.03 करोड़ रुपये की 17 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 2,284.02 करोड़ रुपये की एक सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजना, 106.28 करोड़ रुपये की 70 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं और 30.20 करोड़ रुपये की 25 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

<u>एससीएम</u>: मिशन के तहत, झारखंड राज्य में 01 शहर यानी रांची का चयन किया गया था। राज्य द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 01.03.2026 तक, 1,847.2 करोड़ रुपये की कुल 26 परियोजनाएं शुरू की गईं और सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। झारखंड में रांची स्मार्ट सिटी के लिए 490 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की गई है और इसका उपयोग कर लिया गया है। एससीएम पहले ही 31.03.2025 को समाप्त हो चुका है।

<u>एसबीएम-यू 2.0</u>: 1 अक्टूबर, 2021 को शुरू किए गए मिशन को झारखंड सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य नगरपालिका कचरे के सभी अंशों के 100 प्रतिशत वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है।

जैसा कि झारखंड राज्य द्वारा स्वच्छतम पोर्टल पर बताया गया है, 87% वार्डों में घर-घर जाकर संग्रहण किया जा रहा है और 81% वार्डों में स्रोत पृथक्करण किया जा रहा है और प्रति दिन उत्पन्न कुल नगरपालिका ठोस कचरे का 55% संसाधित किया जा रहा है अर्थात उत्पन्न 2197 टीपीडी कचरे में से 1,214 टन प्रति दिन (टीपीडी) कचरे को संसाधित किया जाता है। मिशन को 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है।

पीएमएवाई-यू: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले सभी मौसमों में रहने योग्य पक्के घर प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से पीएमएवाई-यू को कार्यान्वित कर रहा है।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 (पांच साल की अवधि के लिए) से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से एक करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती कीमत पर घर बनाया, खरीदा और किराए पर लिया जा सके। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 दिशानिर्देश और एकीकृत वेब-पोर्टल को https://pmay-urban.gov.in के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता हैं।

झारखंड राज्य में पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

क्रम संख्या	विवरण	उपलब्धियां
1	स्वीकृत मकान (संख्या)	2,43,368
2	निर्माण के लिए शुरू किए गए मकान (संख्या)	2,10,752
3	निर्मित पूरे हुए/सौंपे गए मकानों की (संख्या)	1,66,291
4	केंद्रीय सहायता स्वीकृत (₹ करोड़ में)	3,815.59
5	जारी की गई केंद्रीय सहायता (₹ करोड़ में)	3,215.81

पीएमस्वनिधि: शहरी पथ विक्रेता को कोलैटरल-फ्री वर्किंग कैपिटल टर्म लोन प्रदान करने के लिए जून 2020 में यह योजना शुरू की गई थी। पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत के बाद से 1 मार्च 2026 तक, देश भर में इस योजना के तहत 73.81 लाख पथ विक्रेता लाभार्थियों को 17,115 करोड़ रुपये के 1.09 करोड़ ऋण वितरित किए गए हैं। झारखंड में, 92,932 पथ विक्रेता लाभार्थियों को 184.5 करोड़ रुपये की राशि के 1.26 लाख से अधिक ऋण संवितरित किए गए हैं। सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।

****